कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/41/2024

यश सिंघल पुत्र राजेन्द्र कुमार, राजकीय गर्ल्स स्कूल के पास खेडा ठाकुर रोड, रूदावल, तहसील रूदावल जिला भरतपुर मो. नं. 8432348808

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 18.09.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट यश सिंघल पुत्र राजेन्द्र कुमार, राजकीय गर्ल्स स्कूल के पास खेडा ठाकुर रोड, रूदावल, तहसील रूदावल जिला भरतपुर की अपील विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास के इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/24/609 दिनांक 03.09.2024 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास के पत्रांक आर.टी.आई./24/443 दिनांक 17.09.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास ने अपने जबाब में अंकित किया है कि:–

"...... प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही जरिये डॉक प्राप्त हुआ है। श्रीमान जी भूमि रूपान्तरण पत्रावली श्री गिर्राजसिहं पुत्र दयाल

.....2

सिहं जाति ठाकुर निवासी रूदावल तहसील रूदावल एवं श्री शैलेन्द्र सिहं तौमर की पत्रावलियॉ तहसीलदार रूदावल के पत्रांक राजस्व/24/12 दिनांक 24.01.2024 से फर्जी हस्ताक्षर की जॉच हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुई। फर्जी हस्ताक्षर की जॉच हेतु इस कार्यालय के पत्रांक जॉच/24/77 दिनांक 01.02.2024 से जॉच कमेटी बनाई गई। इसी बीच प्रार्थी श्री गिर्राजसिहं पुत्र दयाल सिहं जाति ठाकुर निवासी रूदावल तहसील रूदावल द्वारा विड्रो प्रार्थना पत्र जरिये तहसीलदार रूदावल इस कार्यालय को प्राप्त होने पर दोनों पत्रावलियॉ तहसीलदार रूदावल के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/24/335 दिनांक 30.08.2024 से तहसीलदार रूदावल को भिजवाई गई। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार रूदावल से सम्बन्धित है।....''

उक्तानुसार प्राप्त जबाब लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.6.2024 को अपने कार्यालय में प्राप्त ही नहीं होना अवगत कराया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्रावलियॉ कार्यालय के पत्रांक राजस्व/24/335 दिनांक 30.08.2024 से तहसीलदार रूदावल को भिजवा दिया जाना भी अवगत कराया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 27.06.2024 को जरिये डाक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी रूपवास के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है जबकि उपखण्डाधिकारी रूपवास द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्रावलियॉ दिनांक 30.8.2024 को तहसीलदार रूदावल को भिजवाई गई हैं।

लोक सूचना अधिकारी के जबाब से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्रावलियॉ तहसीलदार रूदावल को प्रेषित की जा चुकी हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि आप चाही गई सूचना हेतु तहसीलदार

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

रूदावल को आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास को एवं तहसीलदार रूदावल को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रार्थी / अपीलार्थी को नियमानुसार वॉछित सूचना उपलब्ध करावें। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर